

(असाधारण भाग I — खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2025: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूति, की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

| प्रतिभूति का नाम            | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 6.68% सरकारी प्रतिभूति 2040 | 07 जुलाई, 2025      | 15-00-00                | 07 जुलाई, 2040     | मूल्य          | विविध          | 16,000                      |
| 6.90% सरकारी प्रतिभूति 2065 | 15 अप्रैल, 2025     | 40-00-00                | 15 अप्रैल, 2065    | मूल्य          | विविध          | 16,000                      |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018, दिनांक 26 मार्च, 2025 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 01 अगस्त, 2025 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 01 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**जब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'जब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर 01 अगस्त, 2025 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 04 अगस्त, 2025 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूति के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान**

6. मूल निर्गम / अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूति का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

| प्रतिभूति का नाम            | कूपन दर (%) | पिछले कूपन भुगतान की तारीख | किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है | कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह) |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 6.68% सरकारी प्रतिभूति 2040 | 6.68        | नई प्रतिभूति               | 03 अगस्त, 2025                      | 07 जनवरी और 07 जुलाई             |
| 6.90% सरकारी प्रतिभूति 2065 | 6.90        | नई प्रतिभूति               | 03 अगस्त, 2025                      | 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल          |

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

व्यासन आर

(व्यासन आर.)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार